		हुक्म की तारीख को हुआ
21	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री शिवभगवान (अधि) एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 31.3.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) श्रीगंगानगर 31.03.2021 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी का आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, ग्रामीण मरुधरा बैंक कॉपी, प्रार्थी का पेन कार्ड की प्रतियों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी सम्वंत् 2071–2074 ग्राम 1 एचएच पटवार हलका महियांवाली, भू.अ.निरीक्षक नेतेवाला खाता संख्या 80/13 में प्रार्थी शिवभगवान के स्थान पर श्री भगवान दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल अभिलेखागार रहे। आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (उम्मेद सिंह रतनू) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर	